परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 20-3-78 को प्रातः 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1978 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

(1) श्री बी0जे0खौदासजी	अध्यक्ष	अध्यक्ष
(2) श्री ए0पी0सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
(3) श्री त्रिभुवन नारायण सिंह		सदस्य
(4) श्री राम औतार दीक्षित		सदस्य
(5) श्री अरविन्द वर्मा	विशेष वित्त सचिव (वित्त सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
(6) श्री के0एन0द्विवेदी	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(7) श्री जे0पी0दूबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(8) श्री मोहर सिंह	उप सचिव (स्वायत्त शासन सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(9) श्री इन्दु प्रकाश जैन	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
(10) प्रो0 दिनेश मोहन	निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की	सदस्य

2. बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
	2	3	4
1)	परिषद की दिनांक 4-2-78 को हुई वर्ष-1978 की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	11/(1)/78	परिषद की दिनांक 4-2-1978 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
2)	परिषद की वर्ष-1978 की प्रथम बैठक दिनांक 4-2-78 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	11/(2)/78	गत बैठकों की कार्यवाही पर कार्यान्वियन समिति की समीक्षात्मक टिप्पणी का अवलोकन किया गया। कार्यान्वियन समिति ने 44 मदों को कार्य-सूची से समाप्त करने का निर्णय लिया जिसकी सूची परिषद के समक्ष सूचनार्थ रखी गयी। परिषद ने यह निर्णय लिया कि कार्यान्वियन समिति समय-समय पर इन मदों की समीक्षा करें तथा केवल उन्हीं मदों को कार्य-सूची से समाप्त करने की संस्तुति करें जिनमें नीति विषयक निर्णय का प्रश्न न हो। जिन मदों में इस प्रकार के नीति विषयक निर्णय लिये जाने हों उनके सम्बन्ध में कार्यान्वियन समिति अपनी आख्या एवं संस्तुति दें ताकि परिषद उन पर अन्तिम निर्णय ले सके। इस प्रकार के नीति विषयक बिन्दु परिषद की कार्य-सूची में सम्मिलित रहेंगे जब तक कि उन पर अन्तिम निर्णय न हो जायं । जो निर्णय परिषद द्वारा गत बैठकों में लिये जा चुके हैं उन पर कृत कार्यवाही की समीक्षा कार्यान्वियन समिति द्वारा प्रत्येक माह बराबर की की जायगी। ऐसे विषयों को परिषद की कार्य-सूची में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है ।

कृ0प0उ0

2	3	4
वर्ष-1977-78 का पुनरीक्षित तथा वर्ष-1978-79 का अनुमानित आय-व्ययक (बजट) का अनुमोदन ।	11/(3)/78	वर्ष-1977-78 का पुनरीक्षित तथा वर्ष-1978-79 का अनुमानित आय-व्ययक (बजट) विचारोपरान्त परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया साथ ही साथ निम्नांकित निर्देश भी दिये गये :- (1) वर्ष-1977-78 में भूमि अर्जन, भूमि विकास एवं भवन निर्माण की कार्य प्रगति असंतोषजनक रही। इस ओर विशेष प्रयास किया जाय । (2) परिषद के कार्यक्षेत्र में जिन 100 नगरों को सम्मिलित किया जा चुका है। उन नगरों की आवासीय योजना बनाई जाय । (3) चूंकि भूमि अर्जन की औपचारिक कार्यवाही में अधिक समय लगता है और विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक एवं कानूनी कठिनाईयाँ आती हैं, अतः यह निर्णय लिया गया कि निजी बातचीत द्वारा भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। किसी भूभाग के स्वामी यदि रजामन्द न हों तो उसके सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण की औपचारिक कार्यवाही की जा सकती है। (4) भूमि अर्जन की कार्यवाही के सम्बन्ध में साप्ताहिक मानिटरिंग की जानी चाहिये। बार चार्ट होना चाहिये तथा प्रत्येक नगर के लिये पर्सपेक्टिव प्लान Perspective Plan तैयार किया जाय । (5) निर्माण कार्य में निर्माण की लागत को कम करने की बहुत आवश्यकता है। इस ओर ठोस कार्यवाही की जाय। भूमि विकास की लागत को इस प्रकार कम किया जाय कि केवल न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो । (6) सीमेंट की कमी को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण में सीमेंट का प्रयोग कम किया जाय। निदेशक, सी०बी०आर० आई०, रुड़की ने यह सुझाव दिया कि सीमेंट के अभाव में कम्पोजिट लाइम मार्टर का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें सीमेंट, चूना एवं रेत का अनुपात 1:1:8 अथवा 1:2:9 हो सकता है । (7) चूंकि परिषद के अधीन निर्माण कार्य बढ़ता जा रहा है, अतः मुख्य अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की जाय । (8) छोटे नगरों में भूमि प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान होगा। ऐसे स्थानों पर भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय ।

	2	3	4
			(9) कुछ चुने हुये स्थानों पर साइट ऐण्ड सर्विस कार्यक्रम तैयार किया जाय। इस सम्बन्ध में "हडको" ने जो पत्र भेजा है उसका अध्ययन हो । (10) चूंकि परिषद के अपने आर्थिक साधन सीमित हैं अत: परिषद द्वारा अपने कोष से भवन निर्माण के बजाय इस धन धन का उपयोग भूमि विकास के लिये किया जाय । (11) अधिष्ठान व्यय को प्रत्येक स्तर पर कम करने का प्रयास किया जाय । (12) शासन से 5 करोड़ का secured debent-ures प्राप्त करने का अनुरोध किया जाय जिससे कि परिषद की वित्तीय स्थिति खराब न हो ।
	परिषद की वर्तमान वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में ।	11/(4)/78	परिषद की वर्तमान वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया ।
	रिषद द्वारा निर्मित भवनों/ डों के आवंटन हेतु कार्य शक तथा अधीक्षण अभियन्ता तृतीय) को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	11/(5)/78	परिषद द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों के आवंटन हेतु उप आवास आयुक्त एवं सचिव, कार्य निदेशक एवं अधीक्षण अभियन्ता (तृतीय) को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
(6)	आयकर विभाग एवं जल निगम तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट आफ बिजनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन को भवन एवं भूखण्ड के विक्रय पर विचार	11/(6)/78	परिषद द्वारा आयकर एवं जल निगम को भवन एवं भूखण्ड नकद मूल्य भुगतान पर हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । लखनऊ विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट आफ बिजनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन को भूमि को शिक्षा संस्था के आधार पर विक्रय का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि लेआउट प्लान में भू-उपयोग आवासीय है अत: इसको परिवर्तित कराना आवश्यक हो तो इसके लिये शासन को प्रस्ताव भेजा जाय ।
(7)	प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स इक्जामिनर के पद के सम्बन्ध में।	11/(7)/78	प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर एवं वर्क्स इक्जामिनर के पद की अवधि 28-2-1979 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को परिषद द्वारा स्वीकार किया गया ।
(8)	सहायक लेखाकार की भर्ती सम्बन्धी विनियमों के संशोधन पर विचार ।	11/(8)/78	विचार विमर्श के पश्चात् परिषद द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(9)	अवर अभियन्ताओं (सिविल) में से सहायक अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति हेतु 'कम्प्यूटरशिप' के प्रतिबन्ध में एक वर्ष की छूट ।	11/(9)/78	विचार विमर्श के पश्चात् परिषद द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

कृ0प0पृ0

1	2	3	4
(10)	सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशन्स) को अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।	11/(10)/78	विचार विमर्श के पश्चात् परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आवास आयुक्त द्वारा इसका पुनः परीक्षण किया जाय कि क्या अग्रिम वेतन वृद्धि देना आवश्यक है। परीक्षण के बाद प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत हो ।
(11)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।	11/(11)/78	परिषद मुख्यालय पर एक अतिरिक्त सहायक आवास आयुक्त एवं उनसे सम्बन्धित स्टाफ के सृजन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित उप समिति की रिपोर्ट दिनांक 17-3-1978 के आधार पर निम्नांकित अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी :— (1) सहायक आवास आयुक्त (पी०सी०एस० के वेतनक्रम 550-1200) — एक पद (2) आशुलिपिक (वेतनक्रम 300-500) — एक पद (3) उ०श्रे०स० (वेतनक्रम 280-460) — एक पद (4) अर्दली (वेतनक्रम 165-215) — एक पद
		(2)	मुख्यालय पर परिषद के अधिष्ठान में एक सर्वे एक्सपर्ट एवं एक चेनमैन के पद के सृजन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित उप समिति की बैठक दिनांक 17-3-78 के आधार पर निम्नांकित अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी :— (1) सर्वे-कानूनगो (वेतनक्रम 250-450) — एक पद (2) चेन मैन (165-215) — एक पद

---- x ----

पुष्टि की गई
[signature] 5/5/78
अध्यक्ष
5-5-78